

फर्द अहकाम

न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली
जुज राम शर्मा, नया दिल्ली
 बनाम बाबू लाल कर्षी
 मुकदमा संख्या/वर्ष : 157 / 2021

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	27/1/22	<p>पत्रावली पेश हुई, अधीनस्थ राय द्वारा अपील/कार्य करने के क्रम में पूर्वानुसार <u>28/1/22</u></p>	
	28/1/22	<p>पत्रावली पेश हुई, अधीनस्थ राय द्वारा अपील/कार्य करने के क्रम में पूर्वानुसार <u>10/3/22</u></p>	
	10/03/2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील, प्राची उपस्थित। अधीनस्थ राय। ठीक अनुपस्थित। इनके बार-बार अधीनस्थ लाइव गई किन्तु उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकरफत कार्यवाही अदालत में लाई जाती है। वकील प्राची की एकरफत बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अदालत में करने पर, अस्तुतः प्राचीना एवं अन्तर्गत धारा 128 एलए और एए को स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि रकब व 304 संख्या 3, 1400 ई. गैर गार्ड गाम शतपुरा तहसील अमरावती (प्रपु) पर यदि किसी न्यायालय का रजिस्ट्रार अदालत जा हो तो वह अदालत की मुताबिक ही अदालत</p>	

(विश्वामित्र) 24
 जज
 नया दिल्ली

फर्द अहकाम

न्यायालय उपरकोट इलाहाबाद जमवारा मगद (अपपु)

अपील की लक्ष्मीनारायण बनाम बाबूलाल कोठ

मुकदमा संख्या / वर्ष : 157 / 2021

क्र सं	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>के अनुसार पटघरगढी करना सुनिश्चित करें</p> <p>आदेश की अति तहसीलदार जमवारा मगद को पालनाम हेतु भिजवाई जावे</p> <p>पत्रावली फॉयल मुकदमा नम्बर से काठ से वाद इति दालिल इष्टत री</p> <p>निर्णय आज दिनांक 10/03/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया</p>	

(विश्वामिनी जीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारा मगद